



दूरभाष—2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

पत्रांक: 35 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH)

दिनांक— ५/५/१५

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

लखनऊ, चन्दौली, आजमगढ़, गाजियाबाद, कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, बलिया, बिजनौर,
गाजीपुर, सन्तकबीर नगर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हाथरस,
सोनभद्र एवं आगरा।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई।
आगरा, लखनऊ।

3. अधिशासी अधिकरी न0पा0प0, न0प0 / सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन
इकाई—मुगलसराय (चन्दौली), आजमगढ़, लोनी (गाजियाबाद), मंझनपुर (कौशाम्बी),
दादरी (गौतमबुद्धनगर), बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर),
बांदा, कासगंज, अकबरपुर माती (कानपुर देहात), कानपुर नगर, हाथरस, एवं
रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र)।

विषय:- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक “शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत”
परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक मिशन के अन्तर्गत नगरीय निकायों से शहरी बेघरों के आश्रय की
प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति शासनादेश संख्या 833/69-1-19(104)/2013 दिनांक—
23 मई 2014 के द्वारा गठित “राज्य परियोजना स्वीकृति समिति” द्वारा निम्नानुसार
परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं—

रु0 लाख में

क्र0 सं0	राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के बैठक कार्यवृत्त संख्या एवं दिनांक	शहर का नाम	शेल्टर होम का प्रकार	स्वीकृत परियोज नाओं में शहरी बेघरों की संख्या	स्वीकृत निर्माण लागत	पांच वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु स्वीकृत की धनराशि	निर्माण अवधि	निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त की धनराशि (40%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5609/241/NULM/ तीन / 2001 एस0पू0एच0 दिनांक— 31.03.2015	लखनऊ	i) लक्षण मेला मैदान ii) जियामऊ	उच्चीकरण उच्चीकरण	50 50	14.82 26.17	30.00 30.00	6 माह 6 माह
2	तदैव	मुगलसराय—चन्दौली	नया निर्माण	50	130.58	29.97	8 माह	52.23
3	तदैव	आजमगढ़	नया निर्माण	100	167.56	29.94	9 माह	67.02
4	तदैव	लोनी—गाजियाबाद	नया निर्माण	100	161.57	29.94	9 माह	64.63
5	तदैव	मंझनपुर—कौशाम्बी	नया निर्माण	50	129.19	29.97	8 माह	51.68
6	तदैव	गौतमबुद्ध नगर दादरी	नया निर्माण	100	227.31	29.94	9 माह	90.92
7	तदैव	बलिया	नया निर्माण	56	157.78	30.00	9 माह	63.11
8	तदैव	बिजनौर	नया निर्माण	50	115.92	29.94	9 माह	46.37
9	तदैव	गाजीपुर	नया निर्माण	75	163.30	29.97	8 माह	65.32



दूरभाष—2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

क्र0 सं0	राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के बैठक कार्यवृत्त संख्या एवं दिनांक	शहर का नाम	शेल्टर होम का प्रकार	स्वीकृत परियोजनाओं में शहरी बेघरों की संख्या	स्वीकृत निर्माण लागत	पांच वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु स्वीकृत की धनराशि	निर्माण अवधि	निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त की धनराशि (40%)
10	तदैव	खलीलाबाद — संत कबीर नगर-	नया निर्माण	100	228.77	30.00	8 माह	91.51
11	तदैव	बांदा	नया निर्माण	50	193.49	29.94	6 माह	77.40
12	तदैव	कासगंज	नया निर्माण	50	97.30	30.00	9 माह	38.92
13	तदैव	अकबरपुर—माती (कानपुर देहात)	नया निर्माण	60	148.68	30.00	9 माह	59.47
14	तदैव	कानपुर नगर शिवली रोड पहाड़पुर लाला लाजपत राय	नया निर्माण नया निर्माण नया निर्माण	60 60 60	142.20 105.17 142.64	30.00 30.00 30.00	9 माह 9 माह 9 माह	56.88 42.07 57.06
15	तदैव	हाथरस	नया निर्माण	100	164.76	30.00	8 माह	65.90
16	तदैव	रॉबर्ट्सगंज— सोनभद्र	नया निर्माण	50	108.16	29.22	9 माह	43.26
17	तदैव	आगरा	नया निर्माण	75	105.19	29.97	9 माह	42.08

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की उल्लिखित कार्यवृत्त के अनुक्रम में उल्लिखित परियोजनाओं की स्वीकृत निर्माणकित शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई— सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।
2. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
3. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हड्को द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशानुसार निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख अनुपालन स्वरूप किया जाना अपरिहार्य होगा।
4. आश्रय संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही गाइडलाइन के अनुसार आश्रय निर्माण के साथ-साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व संचालन व्यवस्था हेतु प्रबन्धन



समिति का गठन, उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किये जाने की कृत कार्यवाही की आख्या राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0य०) को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

5. निर्माण कार्य के साथ-साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबंधन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. प्रत्येक शहरी निकाय हेतु स्वीकृति का संक्षिप्त चार्ट कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का स्वीकृतोपरान्त अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य कराया जायेगा। उक्त कार्यवाही आगामी किश्त के अवमुक्त से पूर्व कराना आवश्यक होगा।
8. प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गैणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
9. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नकशों का नियमानुसार अनुमोदन सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रत्येक माह की 03 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस द्वारा शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0य०) के माध्यम से राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0य०) को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रारूप सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।
11. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
12. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा साथ ही समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।
13. स्वीकृत इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।
14. राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0य०) द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत निर्माण लागत की प्रथम किश्त 40% धनराशि के सापेक्ष 70% व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0य०) द्वारा राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0य०) स्तर पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के उपरान्त किया जायेगा।
15. शेल्टर होम के संचालन हेतु स्वीकृत धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं संचालन व्यवस्था हेतु गाइडलाइन एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित समस्त कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0य०) द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।



दूरभाष—2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभियान उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

16. योजनान्तर्गत निर्माण कार्य एवं संचालन व्यवस्था में भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एस0एम0एम0यू0) द्वारा निर्गत एवं समय समय पर निर्गत होने वाले दिशा निर्देशों को अनुपालन करना आवश्यक होगा।
17. निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक— तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ को धनराशि अवमुक्त की कार्यवाही हेतु।
6. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान लखनऊ, चन्दौली, आजमगढ़, गाजियाबाद, कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, बलिया, विजनौर, गाजीपुर, सन्तकबीर नगर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हाथरस, सोनभद्र एवं आगरा को अनुपालनार्थ।
7. सहायक वेबमास्टर सूडा को इमेल से प्रेषण एवं सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक